

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2020—वैशाख 11, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती हीरावती यादव ध.प. श्री हीरालाल यादव, उम्र 55 वर्ष, निवासी-मकान नं.-100/ए, प्रगतिनगर, वार्ड नं.-21, कैम्प-1, पोस्ट-सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम श्रीमती हीरावती देवी दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती हीरावती यादव है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को, मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती हीरावती यादव ध.प. श्री हीरालाल यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती हीरावती देवी (Smt. Hirawati Devi)
पति-श्री हीरालाल यादव
निवासी-मकान नं.-100/ए, प्रगतिनगर, वार्ड नं.-21,
कैम्प-1, पोस्ट-सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती हीरावती यादव (Smt. Hirawati Yadav)
पति-श्री हीरालाल यादव
निवासी-मकान नं.-100/ए, प्रगतिनगर, वार्ड नं.-21,
कैम्प-1, पोस्ट-सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती चित्रा उइके ध.प. श्री कमल सिंह उइके, उम्र 44 वर्ष, निवासी-ब्लाक नं.-9/ए, सड़क नं.-डब्लु.एम.आर., सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम चित्रा देवी उइके दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती चित्रा उइके है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को, मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती चित्रा उइके ध.प. श्री कमल सिंह उइके के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती चित्रा देवी उइके
पति-श्री कमल सिंह उइके
निवासी-ब्लाक नं.-9/ए, सड़क नं.-डब्लु.एम.आर.,
सेक्टर-4, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती चित्रा उइके
पति-श्री कमल सिंह उइके
निवासी-ब्लाक नं.-9/ए, सड़क नं.-डब्लु.एम.आर.,
सेक्टर-4, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामप्रसाद देवांगन आत्मज स्व. समारू राम, उम्र 48 वर्ष, जाति कोष्टा, निवासी-ग्राम-सालहे (मनोहरा), तहसील छुरिया, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.). निवासी हाल ग्राम/पो./थाना सुरगी, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम रामप्रसाद देवांगन है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु ग्राम सालहे (मनोहरा) में मेरे नाम की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम उचित कुमार दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम रामप्रसाद देवांगन दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे रामप्रसाद देवांगन आ. स्व. समारू राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

उचित कुमार
पिता-स्व. समारू राम
निवासी-ग्राम-सालहे (मनोहरा), तहसील-छुरिया,
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
निवासी-हाल ग्राम/पो./थाना-सुरगी,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

नया नाम

रामप्रसाद देवांगन
पिता-स्व. समारू राम
निवासी-ग्राम-सालहे (मनोहरा), तहसील-छुरिया,
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
निवासी-हाल ग्राम/पो./थाना-सुरगी,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती डोमेश्वरी बिसेन ध.प. श्री लोकचंद बिसेन उम्र 44 वर्ष, निवासी-मकान नं.-114/K, वार्ड नंबर-5, हरिओम हार्डवेयर के पीछे, बबलू लॉन्ड्री के पास, लक्ष्मी नगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम डोमेश्वरी बिसेन है जो कि मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों, आधार कार्ड, पेनकार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम ललिता बिसेन दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम श्रीमती डोमेश्वरी बिसेन रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती डोमेश्वरी बिसेन ध.प. श्री लोकचंद बिसेन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती ललिता बिसेन (Smt. Lalita Bisen)
पति-श्री लोकचंद बिसेन (W/o-Shri Lokchand Bisen)
निवासी-मकान नं.-114/K, वार्ड नंबर-5, हरिओम हार्डवेयर
के पीछे, बबलू लॉन्ड्री के पास, लक्ष्मी नगर, सुपेला,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती डोमेश्वरी बिसेन (Smt. Domeshwari Bisen)
पति-श्री लोकचंद बिसेन (W/o-Shri Lokchand Bisen)
निवासी-मकान नं.-114/K, वार्ड नंबर-5, हरिओम हार्डवेयर
के पीछे, बबलू लॉन्ड्री के पास, लक्ष्मी नगर, सुपेला,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख महमूद आत्मज शेख मोइदुल, निवासी-क्वार्टर नंबर 4/D, स्ट्रीट नंबर-C. S 04, सेक्टर-05, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे कक्षा 10वीं, 12वीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Shekhmahamood आ. Shekh Moidol, I.T.I की अंकसूची में Shekh Mehמוד आ. Shekh Moidol, बी.ए.फाइनल की अंकसूची में Sheikh Mehmood तथा मेरे मकान की रजिस्ट्री के अभिलेख में Sheikh Mahmood दर्ज है। जिसमें मेरे व मेरे पिताजी के नाम की स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सही नाम शेख महमूद (Shekh Mahmood) आ. शेख मोइदुल (Sheikh Moidul) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे शेख महमूद (Shekh Mahmood) आ. शेख मोइदुल (Sheikh Moidul) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

शेख महमूद
Shekhmahamood, Shekh Mehמוד,
Sheikh Mehmood, Sheikh Mahmood
पिता-Shekh Moidol
निवासी-क्वार्टर नंबर-4/D, स्ट्रीट नंबर-C.S 04,
सेक्टर-05, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

शेख महमूद (Shekh Mahmood)
पिता-शेख मोइदुल (Sheikh Moidul)
निवासी-क्वार्टर नंबर-4/D, स्ट्रीट नंबर-C.S 04,
सेक्टर-05, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख मुस्ताक आत्मज श्री शेख मोइदुल, उम्र 47 वर्ष, निवासी-मकान नंबर-17, पैराडाइस कालोनी, बोरसी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूँ। यह कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। पूर्व में मेरा नाम, शेख मुस्ताक मुर्शीद (Shaikh Mustakh Murshed) आ. शेख मैदुल (Shaikh Maidul) था। जो कि मेरे व मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम शेख मोइदुल (Sheikh Moidul) है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम शेख मुस्ताक (Sheikh Mustaq) आ. शेख मोइदुल (Sheikh Moidul) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे शेख मुस्ताक (Sheikh Mustaq) आ. शेख मोइदुल (Sheikh Moidul) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

शेख मुस्ताक मुर्शीद (Shaikh Mustakh Murshed)
पिता-शेख मैदुल (S/o Shaikh Maidul)
निवासी-मकान नंबर-17, पैराडाइस कालोनी, बोरसी,
दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

शेख मुस्ताक (Sheikh Mustaq)
पिता-शेख मोइदुल (S/o Sheikh Moidul)
निवासी-मकान नंबर-17, पैराडाइस कालोनी, बोरसी,
दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जगदलपुर, जिला-बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 5 मार्च 2020

क्रमांक/उ.प.ज./परिसमापन/2020/792.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उ.प.ज./परिसमापन/2019/220, जगदलपुर दिनांक 08-08-2019 में आंशिक संशोधन करते हुए माँ दंतेश्वरी प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित सदर वार्ड जगदलपुर, विकासखंड-जगदलपुर, पंजीयन क्रमांक/दिनांक-492/06-08-2004 में नियुक्त किये गए श्री एस. के. साव, व.स.नि. के स्थान पर श्री रवि भूषण राव, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

जगदलपुर, दिनांक 5 मार्च 2020

क्रमांक/उ.प.ज./परिसमापन/2020/793.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उ.प.ज./परिसमापन/2019/220, जगदलपुर दिनांक 08-08-2019 में आंशिक संशोधन करते हुए माँ गायत्री प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित फ्रेजरपुर, जगदलपुर, विकासखंड-जगदलपुर, पंजीयन क्रमांक/दिनांक-495/24-08-2004 में नियुक्त किये गए श्री एस. के. साव, व.स.नि. के स्थान पर श्री रवि भूषण राव, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

हस्ता./-

प्रभारी उप पंजीयक.